न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात
मुकदमा सं०–1023/2019

सरकार बनाम मुनीम आदि।

आरोप

मैं राशि तोमर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण मुनीम व सुनीता को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ–

यह कि दिनांक 27/08/2019 को समय लगभग 05:00 बजे शाम, घटना स्थल बहद ग्राम महदेवा थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा व उसकी माँ के साथ मारपीट कर उपहति कारित की। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 323 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के साथ गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 504 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 506 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा आप अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

राशि तोमर
दिनांक 25.11.2022 सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात
ID NO.UP2540

उक्त आरोप को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवम समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया एवम परीक्षण की मांग की।

राशि तोमर
दिनांक 25.11.2022 सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात
ID NO.UP 2540